कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, आजमगढ़

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की भूमि पर स्थित निम्नलिखित दुकानों फोटो स्टेट एवं साइकिल स्टैण्ड आदि की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 01.03.2024 तथा 02.03.2024 को अपराह्न 01.30 बजे जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नवीन परिसर में स्थित 10 कक्षीय न्यायालय भवन के "हाल आफ जस्टिस" में समिति के सभी सदस्य की उपस्थिति में सम्पन्न किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जनपद न्यायालय आजमगढ़ की बेबसाइट http://azamgarh.dcourts.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय व स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हो।

नीलामी होने वाली दुकानो का विवरण

दुकान नम्बर	दुकान की प्रकृति	स्थान	वित्तीय वर्ष 2023-24 की ठेका धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 की ठेका धनराशि
1	चाय-मीठा	गेट सं. 02 के सामने	14500	15950
2	नारियल पानी	गेट सं. 02 के सामने	50000	55000
3	फोटो स्टेट	गेट सं. 02 के सामने	99220	109142
4	चाय-मीठा	गेट सं. 02 के सामने	105000	115500
5	चाय-मीठा	गेट सं. 02 के सामने	85000	93500
6	चाय-मीठा	गेट सं. 02 के सामने	140000	154000
7	चाय-मीठा	गेट सं. 02 के सामने	84000	92400
8	चाय-मीठा	गेट सं. 02 के सामने	95000	104500
9	पान	चर्च चौराहे के पास	80000	88000
10	पान	चर्च चौराहे के पास	51000	56100
11	चाय-मीठा	चर्च चौराहे के पास	113300	124630
12	सैलून	चर्च चौराहे के पास	34000	37400
13	साइकिल रिपेयर	चर्च चौराहे के पास	53900	59200
14	पान गुमटी	गेट सं. 04 के पास	10835	11919
15	ठेला	गेट सं. 04 (हवालात के सामने) के पास	14900	16390
16	ठेला (दाना भुजा)	गेट सं. 05 के पास	41000	45100
17	पान गुमटी	गेट सं. 05 के पास	42000	46200

18	पान गुमटी	गेट सं. 05 के पास	29370	32307
19	चाय-मीठा	गेट सं. 05 के पास	48000	52800
20	स्टेशनरी	गेट सं. 05 के पास	20570	22627
21	ठेला (चना)	हेरिटेज बिल्डिंग के सामने	20800	22880
22	चाय-मीठा	गेट सं. 05 व छ कक्षीय न्या० भवन ब्लाक बी के बीच में	140000	154000
23	ठेला (चाय)	हेरिटेज बिल्डिंग के पीछे	120000	132000
24	ठेला (दाना भुजा)	हेरिटेज बिल्डिंग के पीछे	20000	22000
25	चाय-मीठा	हवेली न्यायालय के पीछे शौचालय के बगल में	51150	56265
26	फोटो स्टेट	हेवली न्यायालय के पीछे पीपल के पास	93500	102850
27	चाय-मीठा	हेवली न्यायालय के पीछे पीपल के पास	120000	132000
28	चाय-मीठा	गेट सं.08 के पास अन्दर की तरफ	165000	181500
29	बाटी चोखा	गेट सं.08 के पास बाहर की तरफ	66000	72600
30	कम्प्यूटर (फोटो स्टेट)	गेट सं.08 के पास	88000	96800
31	स्टेशनरी	गेट सं.08 के पास	31000	34100
32	स्टेशनरी	गेट सं.08 के पास	48000	52800
33	फोटो स्टेट	गेट सं.08 के पास	180000	198000
34	पान गुमटी	छ कक्षीय न्या० भवन ब्लाक बी के सामने	74500	81950
35	पान गुमटी	छ कक्षीय न्या० भवन ब्लाक बी के सामने	58200	64020
36	ठेला (फल)	सी०जे०एम न्या० भवन के सामने	34000	37400
37	चाय मीठा	सी०जे०एम न्या० भवन के सामने	49300	54230
38	फोटो स्टेट	सी०जे०एम न्या० भवन के सामने गेट सं.07 के पास	24500	26950
39	साइकिल स्टैण्ड	अभिलेखागार के पीछे	1542200	1696420

40	पान	गेट सं. 08 के समीप अन्दर की तरफ	30000	33000

नीलामी की शर्तें निम्नलिखित है-

1- यह ठेका दिनांक **01.04.2024** से **31.03.2025** तक के लिये वैध होगा। जिन दुकानों की नीलामी होनी है, उनका न्यूनतम आरक्षित मूल्य, पूर्व में जिस दर पर उठाई गयी थी उससे **10** प्रतिशत बढा कर होगा।

2- ऐसे आवंटी, जिन्हें वित्तीय वर्ष **2023-24** में आवंटन हुआ है, यदि वित्तीय वर्ष **2024.25** की नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करना चाहते हो तो,उनके द्वारा नजारत अनुभाग से केन्द्रीय नाजिर द्वारा अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभागिता हेतु दाखिल करना होगा। ऐसे ठेकेदार जिन्हें विगत वर्षों में कभी आवंटन हुआ था तथा आवंटित आवंटन से सम्बन्धित कोई भी धनराशि बकाया है तो उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार बकाएदार व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य या उसका प्रतिनिधि ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जायेगी और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी

3- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभागिता हेतु, जिस दुकान की बोली में प्रतिभाग करना चाहता है, उस दुकान की न्यूनतम आरक्षित मूल्य का **10** प्रतिशत धनराशि जरिये टेण्डर (दुकान नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए) जमानत के रूप में मय आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति दिनांक **28.02.2024** को सायं **04:00** बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही नीलामी के दिन नीलामी प्रक्रिया में बोली हेतु प्रतिभाग करने का अधिकार होगा ।

4- जिसके पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी उसे बोली का **25** प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि तीन बराबर किश्तों अर्थात प्रथम किस्त जून **2024** के अंतिम कार्य दिवस तक, द्वितीय किस्त सितम्बर **2024** के अंतिम कार्य दिवस तक एवं तृतीय किस्त दिसम्बर **2024** के अंतिम कार्य दिवस तक जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा तथा बकाया धनराशि भू राजस्व के रूप मे वसूल किया जायेगा ।

5- जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वंय चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार,सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी भी प्रकार से प्रकाश में आने

पर दुकान का ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी ।

6 – नीलामी में सबसे ऊँची बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0-24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली को अस्वीकार कर दें तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर लें।

7- जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0- 31 / ए ए दिनांकित 16.03.1953 सपठित परिपत्र सं.-28/ए ए दिनांकित 17.03.1958 में दी गयी शर्तों के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात रू0 100-00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

8 - ठेकेदार को अपने दुकान के आस-पास की सफाई स्वयं करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0- 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके ।

9- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थो की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण कर सकें ।

10- आवंटियों को कोविड-19 संबंधी समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किए गए संपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

11-खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ के विक्रय हेतु नीलामी मे प्राप्त दुकान को अपने खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता बनाये रखने की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। शासन द्वारा निर्गत आदेश व दिशा निर्देश का पालन करना होगा ।

12- जितनी भूमि दुकान करने हेतु दी जायेगी उसी में दुकान करना होगा कोई स्थायी निर्माण नही करना होगा तथा आवंटन के समय अस्थाई निर्माण स्वयं के खर्चे पर एक सप्ताह मे हटाना होगा ।

13- दुकानदार द्वारा दुकानो के विद्युत उपभोग किये जाने के लिए विद्युत विभाग से स्वयं से विद्युत संयोजन लेकर विद्युत का उपभोग किया जायेगा उससे सम्बन्धित मासिक किराया प्रत्येक माह में विद्युत विभाग मे जमा करते हुए रसीद की छाया प्रति न्यायालय के केन्द्रीय नजारत मे जमा करना अनिवार्य होगा।

14 - सेवाप्रदाता उक्त दुकानो मे कोई अवैधानिक, अनैतिक या विधि विरूद्ध कार्य नहीं करेगा। यदि उक्त के संबंध में कोई सूचना / घटना संज्ञान में आती है तो जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये

ठेका निरस्त कर दे तथा उसके विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ करें।

15- यदि निरीक्षण के दौरान पाया जाता है कि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दे और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दे। सभी आवंटियों द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

दिनांक- 23 फरवरी, 2024

भवदीय,

23.2.24

(जैनेन्द्र कुमार पान्डेय)
अध्यक्ष, नीलामी एवं क्रय समिति
विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act)
जनपद न्यायालय, आजमगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. ओ०एस०डी० कम्प्यूटर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने हेतु ससम्मान प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय, आजमगढ़ (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
3. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) को जनपद न्यायालय आजमगढ़ की बेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलेक्ट्रेट आजमगढ़।
5. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
6. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
7. जिला सूचना अधिकारी स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद आजमगढ़ (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।

दिनांक- 23 फरवरी, 2024

भवदीय,

23.2.24

(जैनेन्द्र कुमार पान्डेय)
अध्यक्ष, नीलामी एवं क्रय समिति
विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act)
जनपद न्यायालय, आजमगढ़।